भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 110

जिसका उत्तर, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया

पीएमसी बैंक में नकद आहरण पर प्रतिबंध

110. सुश्री एस॰ जोतिमणिः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नकद आहरण पर प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में पंजाब और महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के खाताधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बेलआऊट पैकेज सहित उक्त बैंक के उक्त प्रतिबंधों को हटाने और खाताधारकों की मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य बैंकों में ऐसा संकट न आए, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार को सहकारी बैंकों में तथाकथित अनियमितता संबंधी अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अग्रेषित कर दिया जाता है, क्योंकि सहकारी बैंकों की बैंकिंग कार्य प्रणालियों को इसके द्वारा ही विनियमित किया जाता है।

इस संबंध में आरबीआई ने सूचित किया है कि उन्होंने अनेक माध्यमों जैसे कि ई-मेल, सीपीजीआरएएम, डाक के माध्यम से जमाकर्त्ताओं से अनेक शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं तथा इनमें से अधिकांश पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में अपने खाते से राशि की निकासी पर प्रतिबंध से संबंधित हैं।

इसके अलावा, आरबीआई ने जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36कक की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 सितम्बर, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया और उनके स्थान पर छः माह की अवधि के लिए एक प्रशासक को नियुक्त किया। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36कक(5)(क) के अंतर्गत प्रशासक को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए तीन अनुभवी पेशेवरों वाली एक परामर्शदात्री समिति की भी नियुक्ति की गई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक की नकदी की स्थिति तथा जमाकर्ताओं को भुगतान करने की बैंक की क्षमता की समीक्षा करने के पश्चात तथा बैंक के जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने की दृष्टि से, ऐसे आहरणों को समय-समय पर उत्तरोत्तर बढ़ाता रहा है। इस समय आहरण की सीमा 50,000 रुपए है, जो कि 5 नवम्बर, 2019 से प्रभावी है। अद्यतन छूट के साथ बैंक के लगभग 78% जमाकर्ता अपनी संपूर्ण जमाराशि आहरित कर सकते हैं। आहरण की सीमा की निगरानी सामने आ रहे बैंक के जमाकर्ता तथा नकदी प्रोफाइल की तुलना में की जा रही है और बैंक के जमाकर्ताओं के बेहतर हित में जैसा भी उचित हो, आगे समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

- इसके अलावा, जमाकर्ता समस्या (चिकित्सा व्यय तथा अपने या अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय, अपने तथा अन्य संबंधियों की शादी पर व्यय जैसे गैर-चिकित्सा व्यय तथा आजीविका) के आधार पर 1 लाख रुपए (सभी गैर-चिकित्सीय आधार पर 50,000 रुपए की उप-सीमा के साथ) तक की राशि आहरित कर सकते हैं। ऐसे मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए समस्या के आधार पर ऐसे आहरणों को स्वीकृत करने का अधिकार बैंक के प्रशासक को दिया गया है।

(घ): आरबीआई ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं:

(i) ऐसे यूबीसी को एनपीए/अशोध्य ऋणों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करके उनकी स्थिति सुधारने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देश अधिरोपित किये गये हैं।

(ii) ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, जमाराशि के अधिमान्य भुगतान की संभावना और अंतरावस्था में लापरवाही से उधार देने आदि से रोकने के लिए सीमा से परे जमाराशि के भुगतान पर प्रतिबंध लगाता है। बैंकों को किसी भी ऐसे भुगतान/व्यय, जिनकी स्वीकृति इन निर्देशों के अंतर्गत नहीं की गई है, का भुगतान करने से पूर्व आरबीआई की स्वीकृति लेना आवश्यक है, इस प्रकार इससे जमाकर्ताओं की सामूहिक जमाराशि को व्यर्थ व्यय से सुरक्षित किया जाता है।

(iii) इसके साथ-साथ, यूसीबी को पुनरूद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाने, जैसे एनपीए की वसूली, पूंजी की वृद्धि अथवा सुदृढ़ यूसीबी के साथ विलय, का परामर्श दिया गया है। यदि पुनरूद्धार उपाय यथोचित समय के भीतर नहीं किये जाते हैं तो ऐसे बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।

(iv) यूसीबी में कॉरपोरेट अभिशासन तथा पेशेवर तरीके में सुधार हेतु 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक के निक्षेप वाले यूसीबी में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(v) 500 तथा इससे अधिक की आस्ति आकार वाले यूसीबी द्वारा बड़े ऋणों की सूचना बड़े ऋण पर सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी (सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट करने के अनुसार - 500 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की कुल आस्ति वाले यूसीबी द्वारा सभी बड़े ऋणों (5 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक) की सूचना आरबीआई को दी जाएगी। बैंक भी विशेष उल्लेख खाते के रूप में वर्गीकरण कर ऋण खातों में आरंभिक दबाव की पहचान करेंगे ताकि सुधारात्मक तथा निवारक कार्रवाई समय पर की जा सके। यह आरबीआई को और अधिक प्रभावी रूप से स्थलेतर पर्यवेक्षण करने में सक्षम बनाएगा।

(vi) कमजोर परंतु अर्थक्षम यूसीबी की वितीय स्थिति में समय पर सुधार तथा गैर-अर्थक्षम यूसीबी के त्वरित समाधान हेतु यूसीबी के लिए संशोधित पर्यवेक्षीय कार्रवाई ढांचा को भी जारी किया है।

*****